कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–माध्य/मा–स/माता–पिता नाम/2014–19/203 दिनांक: 15.10.2019

समस्त जिला कलक्टर

विषय :– छात्र/छात्रा के माता/पिता के नाम संशोधन के संबंध में।
प्रसंग :– कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक : शिविरा/माध्य/मा–स/14 दिनांक : 13.08.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शिक्षा विभागीय नियमावली 1997 के बिन्दु संख्या 9.14.4 एवं 9.14.5 अ के अनुसार विधार्थी के माता/पिता के नाम संशोधन हेतु न्यायालय का प्रमाण पत्र, जो विधार्थी के माता/पिता के सही नाम को प्रमाणित करता है, को प्रस्ताव के साथ संलग्न करना वांछित होता है। इस सम्बन्ध में कार्यालय को समय–समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती है कि इन प्रकरणों में उपखण्ड अधिकारी प्रमाण पत्र जारी नहीं करते है।

अतः शिक्षा विभागीय नियमावली 1997 के पृष्ठ संख्या 189 की प्रति (जिसमें बिन्दु संख्या 9.14.4 एवं 9.14.5 अ उल्लेखित है) संलग्न कर निवेदन है कि विधार्थियों के माता/पिता के नाम संशोधन के संबंध में प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार करने बाबत् आप अपने अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा करावें।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय,

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) हनुमानगढ को उनके पत्र दिनांक 23.09.2019 के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान
3. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
4. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

की जन्मतिथि का अंकन नियत समय पर किया गया हो न कि बाद में – यहां उल्लेखनीय है कि नगरपालिका/नगर निगम के जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि जन्मतिथि परिवर्तन करने हेतु पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।

ब– ज्योतिषी द्वारा तैयार की गई जन्मपत्री

स– अत्यन्त पुराना व निःसन्देहात्मक ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य जो सिविल वाद की स्थिति में न्यायालय में भी मान्य होता है।

द– विद्यालय का सम्बन्धित अभिलेख जैसे मूल प्रवेश प्रार्थना पत्र तथा मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जैसी भी स्थिति हो तथा स्कोलर रजिस्टर की प्रतिलिपि।

य– संस्था प्रधान की विद्यालय अभिलेख पर आधारित तथ्यात्मक टिप्पणी।

9.14.3 ऐसे प्रकरण जिनमें जन्मतिथि विक्रम संवत् से ईसवी सन् में परिवर्तन करने से त्रुटि हुई हो

ऐसे प्रकरणों में निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे :–

अ– संवत् का पंचांग

ब– छात्र/छात्रा की मूल जन्मपत्री

स– मूल प्रवेश प्रार्थना पत्र

द– स्कोलर रजिस्टर की सही प्रमाणित प्रतिलिपि

य– सक्षम न्यायालय द्वारा प्रमाणित पिता/वैधानिक संरक्षक का हल्फनामा

9.14.4 ऐसे प्रकरण जिनमें पिता के नाम में परिवर्तन चाहा गया हो

ऐसे प्रकरणों में निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे

अ– न्यायालय का प्रमाण पत्र जो विद्यार्थी के पिता के सही नाम को प्रमाणित करता हो।

ब– पिता का हलफनामा जिसमें छात्र/छात्रा के प्रवेश प्रार्थना पत्र में उनके सही नाम का उल्लेख नहीं होने के कारणों/परिस्थितियों का उल्लेख हो।

स– मूल प्रवेश प्रार्थना पत्र

द– स्कोलर रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि

य– विद्यालय अभिलेख के आधार पर संस्था प्रधान की तथ्यात्मक टिप्पणी।

9.14.5 ऐसे प्रकरण जिनमें छात्र के नाम में परिवर्तन चाहा गया हो

ऐसे प्रकरणों में निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे ।

अ– नाम परिवर्तन चाहने वाले छात्र के पिता/संरक्षक का हलफनामा जो सक्षम न्यायालय द्वारा प्रमाणित हो। हलफनामा में परिवर्तन चाहने के कारणों/परिस्थितियों का तर्कसंगत व सन्तुष्टिपूर्ण विवरण हो।

ब– जो छात्र बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठ चुके है उनके प्रार्थना पत्र पर विचार नही किया जायेगा। वे अपनी समस्या का समाधान यदि चाहें, तो न्यायालय के माध्यम से करें।

इन समस्त प्रकरणों की विस्तृत जांच की जानी चाहिये व परिवर्तन की स्वीकृति पूर्ण सन्तुष्टि के पश्चात् तब जारी की जानी चाहिये जब इसके लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हो। मात्र हलफनामा, चिकित्सा प्रमाण-पत्र या जन्मपत्री व अन्य मौखिक साक्ष्य को जन्मतिथि परिवर्तन का आधार नही माना जाना चाहिये।

सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को जो परिवर्तन की स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऐसे प्रकरणों का परीक्षण करना होगा तथा अपनी पूर्ण सन्तुष्टि के पश्चात् परिवर्तन की स्वीकृति अपने स्वयं के हस्ताक्षर से जारी करनी होगी।

बोर्ड/विश्वविद्यालय को परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करने के पश्चात् छात्र का नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/बोर्ड के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9.15 शैक्षणिक कार्य हेतु जन सहयोग/दान

9.15.1 आशय

जन सहयोग से आशय राजकीय शिक्षा संस्थाओं के विकास में सामूहिक/संस्थात्मक/निजी/व्यक्तिगत तरीकों तथा/अथवा माध्यम से जनता के योगदान को प्रोत्साहित करके संस्था में भौतिक साधनों–भवन, मैदान, भूमि, उपकरण, यंत्र, उपस्कर, फर्नीचर तथा अन्य सेवा–सुविधाओं को प्राप्त तथा/अथवा उनमें अभिवृद्धि करना है।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

3

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / माध्य / मास / 20562 / 14 दिनांकः 13/8/14

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा
चित्तौडगढ़

विषयः– पिता के नाम में परिवर्तन बाबत।
प्रसंगः– आपका पत्रांकः जिशिचि / माशि / सामा. / ज.ति.प / 2014 / 591 दिनांकः 17.07.14

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा न्यायालय का प्रमाण पत्र जो विद्यार्थी के पिता के सही नाम को प्रमाणित करता हो के संबंध में यह कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यथा उपखण्ड अधिकारी (SDM), Adm प्रशासन, Adm city द्वारा जारी प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, चित्तौडगढ

क्रमांक : जिशिचि/माशि/सामा./ज.ति.प./2014/591 दिनांक : 17.7.14

श्रीमान् निदेशक महोदय
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

रजिस्टर्ड

विषय : विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के पिता के नाम में परिवर्तन बाबत मार्गदर्शन के संबंध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शिक्षा विभागीय नियमावली के बिन्दु संख्यॉ 9.14.4 ''ऐसे प्रकरण जिनमें पिता के नाम में परिवर्तन चाहा गया हो'(प्रति संलग्न है) के बिन्दु संख्यॉ ''अ'' में ''न्यायालय का प्रमाण पत्र जो विद्यार्थी के पिता के सही नाम को प्रमाणित करता हो'' इस प्रकार के दस्तावेज के रूप में अभिभावक मुकदमें की प्रतियां अथवा नोटेरी प्रमाणित शपथ पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत करते है तथा उसी दस्तावेज को उक्त दस्तावेज के रूप में मान्य करने हेतु बाध्य करते है जिससे कार्यालय को अन्यथा स्थिति का सामना करना पडता है। कतिपय अभिभावक प्रशासन के समक्ष भी शिकायते दर्ज कराते है। एक अभिभावक ने वकील के द्वारा नोटिस भिजवाकर उक्त कार्यालय से उस प्रक्रिया की जानकारी चाही गई है जिससे न्यायालय द्वारा उक्त प्रमाण पत्र जारी करवाया जा सके। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रमाण पत्र के रूप में किस स्तर के न्यायालय का कौनसा दस्तावेज मान्य किया जावे, के संबंध में कृपया मार्गदर्शन प्रदान कराने का कष्ट करावे।

संलग्न :– उपयुर्क्तानुसार

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चित्तौडगढ

प्रतिलिपि :–

1. संजीत कुमार/हरिपद टीकादार, आयुर्वेदिक क्लिनिक, इंदिरा कॉलोनी, बस स्टेण्ड के पास, निम्बाहेडा।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चित्तौडगढ

Scanned by CamScanner

की जन्मतिथि का अंकन नियत समय पर किया गया हो न कि बाद में — यहां उल्लेखनीय है कि नगरपालिका/नगर निगम के जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि जन्मतिथि परिवर्तन करने हेतु पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।

ब— ज्योतिषी द्वारा तैयार की गई जन्मपत्री

स— अत्यन्त पुराना व नि:सन्देहात्मक ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य जो सिविल वाद की स्थिति में न्यायालय में भी मान्य होता है।

द— विद्यालय का सम्बन्धित अभिलेख जैसे मूल प्रवेश प्रार्थना पत्र तथा मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जैसी भी स्थिति हो तथा स्कोलर रजिस्टर की प्रतिलिपि।

य— संस्था प्रधान की विद्यालय अभिलेख पर आधारित तथ्यात्मक टिप्पणी।

9.14.3 ऐसे प्रकरण जिनमें जन्मतिथि विक्रम संवत् से ईसवी सन् में परिवर्तन करने में त्रुटि हुई हो

ऐसे प्रकरणों में निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे :—

अ— संवत् का पंचांग

ब— छात्र/छात्रा की मूल जन्मपत्री

स— मूल प्रवेश प्रार्थना पत्र

द— स्कोलर रजिस्टर की सही प्रमाणित प्रतिलिपि

य— सक्षम न्यायालय द्वारा प्रमाणित पिता/वैधानिक संरक्षक का हल्फनामा

9.14.4 ऐसे प्रकरण जिनमें पिता के नाम में परिवर्तन चाहा गया हो

ऐसे प्रकरणों में निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे

अ— न्यायालय का प्रमाण पत्र जो विद्यार्थी के पिता के सही नाम को प्रमाणित करता हो।

ब— पिता का हलफनामा जिसमें छात्र/छात्रा के प्रवेश प्रार्थना पत्र में उसके सही नाम का उल्लेख नहीं होने के कारणों/परिस्थितियों का उल्लेख हो।

स— मूल प्रवेश प्रार्थना पत्र

द— स्कोलर रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि

य— विद्यालय अभिलेख के आधार पर संस्था प्रधान की तथ्यात्मक टिप्पणी।

9.14.5 ऐसे प्रकरण जिनमें छात्र के नाम में परिवर्तन चाहा गया हो

ऐसे प्रकरणों में निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे ।

अ— नाम परिवर्तन चाहने वाले छात्र के पिता/संरक्षक का हलफनामा जो सक्षम न्यायालय द्वारा प्रमाणित हो। हलफनामा में परिवर्तन चाहने के कारणों/परिस्थितियों का तर्कसंगत व सन्तुष्टिपूर्ण विवरण हो।

ब— जो छात्र बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठ चुके है उनके प्रार्थना पत्र पर विचार नही किया जायेगा। वे अपनी समस्या का समाधान यदि चाहें, तो न्यायालय के माध्यम से करें।

इन समस्त प्रकरणों की विस्तृत जांच की जानी चाहिये व परिवर्तन की स्वीकृति पूर्ण सन्तुष्टि के पश्चात् तब जारी की जानी चाहिये जब इसके लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हो। मात्र हलफनामा, चिकित्सा प्रमाण पत्र या जन्मपत्री व अन्य मौखिक साक्ष्य को जन्मतिथि परिवर्तन का आधार नहीं माना जाना चाहिये।

सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को जो परिवर्तन की स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऐसे प्रकरणों का परीक्षण करना होगा तथा अपनी पूर्ण सन्तुष्टि के पश्चात् परिवर्तन की स्वीकृति अपने स्वयं के हस्ताक्षर से जारी करनी होगी।

बोर्ड/विश्वविद्यालय को परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करने के पश्चात् छात्र का नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/बोर्ड के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9.15 शैक्षणिक कार्य हेतु जन सहयोग/दान

9.15.1 आशय

जन सहयोग से आशय राजकीय शिक्षा संस्थाओं के विकास में सामूहिक/संस्थात्मक/निजी/व्यक्तिगत तरीकों तथा/अथवा माध्यम से जनता के योगदान को प्रोत्साहित करके संस्था में भौतिक साधनों—भवन, मैदान, भूमि, उपकरण, यंत्र, उपस्कर, फर्नीचर तथा अन्य सेवा—सुविधाओं को प्राप्त तथा/अथवा उनमें अभिवृद्धि करना है।

Scanned by CamScanner